

हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,
प्लॉट नं० बी० 11-12, सेक्टर-14,
पंचकुला ।

क्रमांक 2263-85

दिनांक 8/12/97

सेवा में

मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी,
फैरनाल, हिसार, गिरसा ।

विषय: संसाधन संयंत्र के पंजीकरण के लिये निर्देश ।

महोदय,

केन्द्रीय बीज प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण के कार्य हेतु पंजीकृत किये जाने वाले संसाधन संयंत्रों के लिये जो विभा. निर्देश जारी किये गये थे, उनको संस्था के गवर्निंग बोर्ड में अनुमोदित कर दिया है । इन विभा. निर्देशों एवं नियमों के अनुसार एवं हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अब केवल उन्ही नए संसाधन संयंत्रों का प्रमाणीकरण हेतु पंजीकरण किया जायेगा, जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करेंगे:-

1. संसाधन संयंत्र के लिये आवश्यक यन्त्र :- पंजीकरण किये जाने वाले संसाधन संयंत्रों पर निम्नलिखित यन्त्र होने अनिवार्य हैं :-

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ✓ a) Scalper/Pre-cleaner | ✓ b) Cleaner/Grader |
| ✓ c) Indented cylinder | ✓ d) Seed Drier |
| ✓ e) Moisture Tester | ✓ f) Gravity separator |
| ✓ g) Seed Treater | ✓ h) Bagger |
| ✓ i) Bag closer | ✓ j) Weighing balance |

उपरोक्त यन्त्रों में से ए, डी, एफ तथा एच पर दिये गये यन्त्रों का विवरण पंजीकरण के प्रकोरमें के कालम न० 14-डी में ही भर कर लिया जाये। बाकी यन्त्र इस प्रोकोरमा में पहले से ही दिये हुए हैं ।

2. संसाधन संयंत्रों के पंजीकरण हेतु अन्य शर्तें:- उपरोक्त क्रम संख्या 1 में दिये गये यन्त्रों के अलावा पंजीकरण हेतु जिन संसाधन संयंत्रों के आवेदन आपको प्राप्त हो उनके लिये निम्न शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य है:-

1. संसाधन संयंत्र ऐसे उपयुक्त भवन में होना चाहिये जिसमें हवा आने जाने, प्राकृतिक एवं कृत्रिम प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था हो । भवन की दिवारें, छत एवं फर्श ठीक प्रकार, टूट फूट एवं दरारों से मुक्त होनी चाहिए।

2. भवन में कार्य करने, रा-सीड के भण्डारण तथा संसाधित किये गये बीज को इस प्रकार तक कर रखने के लिये कि बीज की गुणवत्ता में किसी भी कमी की सम्भावना न रहे, के लिये काफी जगह होनी चाहिए ।

अगले पृष्ठ पर

Aminder Singh

- १३ संसाधन सयन्त्र की क्षमता बढ़ानी चाहिये जिससे कि प्रमाणीकरण सर्वथा के अधिकारियों की सेवाओं का पर्याप्त उपभोग हो सके ।
- १४ संसाधन सयन्त्र का डिवाइज, निर्माण, संचालन एवं प्रबन्धन इस प्रकार का होना चाहिये जिससे बीज की गुणवत्ता न्यूनतम प्रमाणित हो ।
- १५ संसाधन सयन्त्र पर तैयार किये जाने वाले रिपोर्ट एवं उसकी देखरेख की उचित व्यवस्था होनी चाहिये ।
- १६ संसाधन सयन्त्र ऐसी जगह स्थापित होना चाहिये जहाँ सुगमता से पहुँचा जा सके ।


उपरोक्त क से च तक में दी गई शर्तों को सम्बन्धित मुख्य बीज प्रमाणीकरण अधिकारी द्वारा साथ सर्वत्र प्रफेक्ट में प्रमाणित करके पंजीकरण के कार्य के साथ मुख्यालय भेजा जायेगा ।

आपसे अनुरोध है कि इस पत्र की प्राप्ति तिथि के उपरान्त उन्ही संसाधन सयन्त्रों को पंजीकरण करने के लिये इस कार्यालय में भेजा जाये जिन पर क्रम संख्या १ में दिये गये सभी यन्त्र लगे हो तथा क्रम संख्या २ में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करते हों ।

पंजीकरण किये जाने वाले संसाधन सयन्त्रों के बारे में आवश्यक निर्णय के बारे में आपको जल्द से सुचित किया जायेगा ।

संलग्न - ३५२०३३३

भवदीय,


निदेशक

li

